उत्तर प्रदेश शासन
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-39/2017/374/92-2-17-11टी0ए0सी0/99
लखनऊ:: दिनांक:: 07 मार्च, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

श्री एस0के0 सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गाजीपुर द्वारा दिलदार नगर चिउटहा पलिया सम्पर्क मार्ग पर कराये गये निर्माण कार्यो की टी0ए0सी0 जांच में परिलक्षित अनियमितताओं/शासकीय क्षति के लिये प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर उनके विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम'7 के अंतर्गत शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-197/62-3-(प्रकोष्ठ)/2010-11टी0ए0सी0/ 99ए, दिनांक 02-07-2010 द्वारा अनुशासनिक जॉच संस्थित करते हुए अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-फैजाबाद को जॉच अधिकारी नामित किया गया।

2- जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-फैजाबाद ने पत्र संख्या-2019/ग्रा0अ0वि0/सहा0अभि0/जांच-आख्या/गाजीपुर/2011-12 दिनांक 08-08-2012 द्वारा अपनी जॉच आख्या शासन को उपलब्ध करायी गयी। जॉच अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या में स्थापित पाये गये आरोपो के परिप्रेक्ष्य में उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) 1999 के नियम-9(4) के अंतर्गत शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-326/92(प्रकोष्ठ)/ 2012-11टी0ए0सी0/99ए दिनांक 07-12-2012 द्वारा अपचारी अधिकारी से अभ्यावेदन मांगा गया। शासन के निर्देशों के अनुक्रम में अपचारी अधिकारी ने पत्रांक- मेमो/ ग्रा0अ0वि0/जांच-स0अ0/व्य0प0/2013-14 दिनांक 18-06-2013 द्वारा अपना अभ्यावेदन/ प्रतिउत्तर शासन को उपलब्ध कराया गया।

3- अपचारी अधिकारी के विरूद्व अधिरोपित आरोप, जॉच अधिकारी की जॉच आख्या, अपचारी अधिकारी के अभ्यावेदन एवं संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त श्री एस0के0 सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गाजीपुर के विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में उन्हें निम्नवत दण्ड देते हुये उनके विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-98/92(प्रकोष्ठ)/14-11टी0ए0सी0/99ए दिनांक 13-03-2014 द्वारा समाप्त किया गया है :-

" दिलदार नगर चिउटहा पलिया सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु प्राक्कलन में वर्णित ब्रिक बैलास्ट के प्राविधान के विपरीत स्टोन बैलास्ट का उपयोग सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बगैर करने, उक्त परिवर्तन के साथ कार्य कराये जाने हेतु पुनरीक्षित प्राक्कलन का प्रस्ताव प्रस्तुत न करने तथा अपूर्तित ईंटो का उपभोग न करने के लिये श्री एस0के0 सिंह, सहायक अभियंता को परिनिन्दित किया जाता है।

उपरोक्त प्रविष्टि वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिये मानी जायेगी।"

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- शासन के उक्त दण्डादेश दिनांक 13-03-2014 के विरूद्व श्री एस0के0 सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गाजीपुर सम्प्रति फैजाबाद ने अपना प्रत्यावेदन दिनांक 14-10-2016 प्रस्तुत किया गया। श्री सिंह के उक्त प्रत्यावेदन एवं अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-98/92(प्रकोष्ठ)/14-11टी0 ए0सी0/99ए दिनांक 13-03-2014 द्वारा श्री एस0के0 सिंह, सहायक अभियंता को वर्ष 2011-12 के लिये दी गयी परिनिन्दा प्रविष्टि को एतद द्वारा विलोपित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

संख्या-39/2017/374(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री एस0के0 सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गाजीपुर सम्प्रति फैजाबाद निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in